न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
श्री अमरचन्द पुत्र दीनदयाल, जाति अग्रवाल, निवासी आबूरोड जिला सिरोही		श्री राजेन्द्र पुत्र भंवरलाल, जाति गेहलोत, निवासी मानपुर, तहसील आबूरोड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या 1/2003

दिनांक 11–11–2020

निर्णय

प्रार्थी ने **प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि** प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मानपुर पटवार हल्का मानपुर भू अभिलेख क्षेत्र किवरली, तहसील आबूरोड जिला सिरोही में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 627 मीन 9 बिस्वा लगान 0.69 पै. किस्त नहरी है। उक्त कृषि भूमि मण्डार रोड पर सड़क से लगती हुई है जो प्रार्थी के एकल स्वामित्व की है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर वर्ष 1995 में अप्रार्थी ने प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर करीब 30 फुट बाय 46 फुट कुल 1380 वर्गफुट भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया जिस पर न्यायालय श्री तहसीलदार आबूरोड ने प्रकरण संख्या 76/1995 अन्तर्गत धारा 90–ए संपठित धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 30–12–1996 को निर्णय पारित कर अप्रार्थी को निर्माण हटाने का आदेश दिया। अप्रार्थी ने न्यायालय कलक्टर सिरोही के समक्ष अपील संख्या 2/97 प्रस्तुत की जो न्यायालय श्री कलक्टर सिरोही ने दिनांक 10–03–1998 को अपील अस्वीकार की। अप्रार्थी ने द्वितीय अपील रेवेन्यु अपीलाण्ट आथोरिटी के समक्ष पेश की जिसमें प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर 30 फुट बाय 46 फुट का कब्जा अप्रार्थी का मानते हुए अपील स्वीकार की जो निर्णय विधि के विपरित होने से प्रार्थी ने रेवेन्यु बोर्ड के समक्ष निगरानी पेश की जो जैर–तजवीज है। अप्रार्थी ने पूर्व में किये अतिक्रमण 1380 वर्गफुट के अलावा अप्रेल, 2001 में प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य शुरू किया जिसका ज्ञान पटवार हल्का मानपुर द्वारा दिनांक 10–04–2001 को रास्ते जाते कृषि भूमि पर निर्माण होते देख कर पटवारी मानपुर ने दिनांक 13–04–2001 को मौका फर्द बनाई जिस अनुसार अप्रार्थी ने 60 फुट बाय 80 फुट पर कुल 4800 वर्गफुट पर निर्माण होना पाया। पटवारी मानपुर ने अप्रार्थी को कृषि भूमि पर निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया एवं उसी दिन न्यायालय तहसीलदार ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए व 91 के तहत प्रकरण संख्या 23/01 दर्ज कर नोटिस जारी किये एवं स्थगन आदेश पारित किया एवं बाद सुनवाई 4800 वर्गफुट में से 1380 वर्गफुट बाबत मामला विचाराधीन होने से शेष 3420 वर्गफुट भूमि पर से कब्जा हटाने बाबत निर्णय दिनांक 31–05–2001 को दिया एवं प्रार्थी खातेदार को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र होना बताया। इस प्रकार अप्रार्थी ने वर्ष अप्रेल 2001 में प्रार्थी की 3420 वर्गफुट कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया जहाँ से अप्रार्थी को बेदखल करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी की कृषि भूमि का सीमांकन करने आर. आई. व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 19–06–2002 को मौका निरीक्षण के समय भी अप्रार्थी द्वारा कुल 80 फुट बाय 60 फुट पर [illegible] कर बाउण्ड्री वॉल बनाने एवं 25 फुट बाय 18 फुट में पक्का निर्माण करना पाया। इस प्रकार वर्ष 1995 से अब तक अप्रार्थी ने प्रार्थी की 4800 वर्गफुट कृषि भूमि पर अवैध कब्जा किया है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर अप्रार्थी द्वारा किये 4800 वर्गफुट के कब्जे को हटाकर कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थी को दिलाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को दिनांक 19–06–2002 को व उसके बाद भी कई बार प्रार्थी की कृषि भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने का कहा परन्तु आज तक अप्रार्थी ने प्रार्थी की 4800 वर्गफुट भूमि से अवैध कब्जा हटाकर कृषि भूमि प्रार्थी को सुपुर्द नहीं की है। प्रार्थी खातेदार कृषक है। अप्रार्थी प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर रहा है। इसलिये आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:57:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया है।

अप्रार्थी अधिवक्ता को बहस हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अनुपस्थित होने से हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार प्रार्थी प्रश्नगत आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। तहसील आबूरोड की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2002 अनुसार भी अप्रार्थी राजेन्द्र गहलोत को अवैद्य अतिक्रमी माना है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर 4800 वर्ग फिट पर बाउण्ड्री वाल एवं पक्का निर्माण कर अवैद्य कब्जा किया है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे होने से एवं यदि प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी मौजा मानपुर के प्रश्नगत खसरा नंबर 627मीन रकबा नौ विस्वा का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे होने से यदि प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 संपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। कि अप्रार्थी मौजा मानपुर पटवार हल्का मानपुर के खसरा नंबर 627 मी रकबा 09 विस्वा पर नया निर्माण नही करे एवं नही अतिक्रमण करे तथा मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11-11-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर आबूपर्वत

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:57:56 IST
Reason: SelfAttested